

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांकः—गो.प्र./ए.सी.आर./2003–04/परिपत्र/6955-७८ दिनांक :— 16/5/17

1. उपमहानिरीक्षक कारागार,
रेंज—जयपुर, जोधपुर, उदयपुर ।

2. समस्त, अधीक्षक / उपाधीक्षक,
केन्द्रीय / जिला कारागृह ।

3. उपाधीक्षक,
महिला सुधारगृह,
जयपुर / जोधपुर ।
विषयः— वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के संदर्भ में निर्देश / दिशानिर्देश ।

—000—

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प013(51)का./क-1/गो.प्र./2012 दिनांक 22 फरवरी 2013 व मुख्यालय कारागार के पत्रांक 4080-124 दिनांक 26.04.2013 के क्रम में लोकसेवक का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होने पर संबंधित लोक सेवक को सूचित कर उन्हें उनके प्रतिवेदन का अवलोकन कराकर “अवलोकन किया” का प्रमाण—पत्र लिया जाना है ।

अतः प्रकरण में लेख है कि संबंधित लोक सेवक के ए.सी.आर. प्रतिवेदन में सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त रिकार्ड ऑफिस द्वारा लोकसेवक को प्रतिवेदन का अवलोकन कराकर उनसे ए.सी.आर. प्रतिवेदन का अवलोकन किया, का प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जावेंगा ।


महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर ।
- वरिष्ठ निजी सहायक, अति.महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर ।
- रक्षक पत्रावली ।



महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर